

हरियाणा सरकार ने शवों के नपिटान पर वधियक वापस लिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने वपिक्षी दलों की आपत्तक के बाद [हरियाणा माननीय शव नपिटान वधियक, 2024](#) को वापस ले लिया ।

मुख्य बदि:

- वधियक के अनुसार, कसिी पुलसि स्टेशन के प्रभारी अधकिकारी कोशव को अपने कबजे में लेने की शकत होगी यद उसके पास "व्यक्तगत ज्ञान या अन्यथा" से यह वशिवास करने का कारण हो क शव का उपयोग परिवार के कसिी सदस्य या व्यक्तियों के समूह द्वारा वरिध के लिये कया जा सकता है ।
- मुद्दा यह उठया गया क वधियक में प्रभावति पक्ष के लिये कोई उपाय उपलब्ध नहीं है क्योकि कार्याकारी मजसि्ट्रेट ने शहरी स्थानीय नकिया या ग्राम पंचायत द्वारा कसिी शव के दाह संस्कार पर आदेश पारति कया था, यद परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दया था ।
 - वधियक में कार्याकारी मजसि्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कोई अपील का प्रावधान नहीं था ।
- इससे पहले, वधियक का उद्देश्य मृतकों का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चति करना था ।
- कसिी मृत व्यक्त के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, कसिी को भीमृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके कसिी भी वरिध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या कसिी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि ।
- कसिी भी व्यक्त को कसिी भी रूप में कसिी नकिया को वरिध या प्रदर्शन के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकना आवश्यक है ।
 - प्रस्तावति कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़मिमेदारी पर भी ज़ोर देता है जहाँ परिवार के सदस्य कसिी शव को अस्वीकार कर देते हैं, जसिसे उचति अंतिम संस्कार से इंकार कर दया जाता है ।
- यह ध्यान रखना उचति है क भारत के संवधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरमि और उचति व्यवहार का अधिकार न केवल जीवति व्यक्त को बल्क उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मलिता है ।

अनुच्छेद 21

- यह घोषणा करता है क कानून द्वारा स्थापति प्रक्रया के अलावा कसिी भी व्यक्त को उसके जीवन या व्यक्तगत स्वतंत्रता से वंचति नहीं कया जाएगा । यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये उपलब्ध है ।
- जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व या जीवति रहने तक ही सीमति नहीं है बल्क इसमें मानवीय गरमि के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण तथा जीने लायक बनाते हैं ।